प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.05.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का अनावरण तथा पुलिस मुठभेड़ में लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, लूट की घटना से सम्बन्धित 01 लैपटॉप तथा 06 लाख रुपये नकद बरामद।

आज दिनांक 17.05.2026 को वादी मौ0 सावेज सैफी निवासी ग्राम सतवाई थाना रोहटा जनपद मेरठ ने तहरीर दी कि 02 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार द्वारा वादी की गाडी महिन्द्रा पिकअप के सामने मोटरसाइकिल लगाकर गाडी को रोकना व वादी के ड्राइवर नितिन के साथ मारपीट कर वादी का बैग जिसके अन्दर 06 लाख रुपये व 01 लैपटॉप छीनकर भाग जाना। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 309(6) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरणः-

तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. अर्शलान पुत्र लियाकत निवासी ग्राम काशी कश्यप कॉलोनी थाना परतापुर जनपद मेरठ 2. लखन कश्यप पुत्र सतीश निवासी ग्राम काशी कश्यप कॉलोनी थाना परतापुर जनपद मेरठ को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, लूट की घटना से सम्बन्धित 01 लैपटॉप तथा 06 लाख रुपये नकद बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम सावेज सैफी की फैक्ट्री में काम करते है और हमें जानकारी थी कि सावेज अपनी फैक्ट्री का तैयार माल दिल्ली बेचकर वहां से कैश रुपये लेकर आता है जिसे छिनने का हम लोगों ने आज प्लान बनाया था तथा पैसे छीनने के बाद हम लोग कहीं दूर भाग जाने के प्रयास में थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.अर्शलान पुत्र लियाकत निवासी ग्राम काशी कश्यप कॉलोनी थाना परतापुर जनपद मेरठ, उम्र करीब 24 वर्ष।

2.लखन कश्यप पुत्र सतीश निवासी ग्राम काशी कश्यप कॉलोनी थाना परतापुर जनपद मेरठ, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, लूट की घटना से सम्बन्धित 01 लैपटॉप तथा 06 लाख रुपये नकद बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर लूट व मुठभेड़ का 02 अभियोग तथा अभियुक्त लखन के विरुद्ध 01 अभियोग एससी/एसटी का जनपद मेरठ में कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल, 02 लैपटाप एवं 42 फर्जी PPC एवं जन्म प्रमाण पत्र बरामद।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कूट रचित फर्जी जन्म प्रमाणपत्र, LPG गैस कनेक्शन, तथा सेना द्वारा, सेवानिवृत सैनिकों को दिये जाने वाले PPO (पेंशन प्रपत्र ऑर्डर) बनाने वाले गिरोह के सदस्य दीपक कुमार पुत्र तारा चन्द्र निवासी हसनपुर लौढा थाना धौलाना जनपद हापुड़ एवं विकास कुमार पुत्र तारा चन्द्र निवासी हसनपुर लौढा थाना धौलाना जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह द्वारा इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पोस्ट ऑफिस की कर्मचारी के साथ मिलकर, साइबर फ्रॉड की घटना कारित करते हुए, **फर्जी आधार कार्ड** बनाया जाता है। गिरफ़्तारी एवं बरामदगी के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि ये लोग बालाजी जनसेवा केन्द्र के नाम से थापर बिल्डिंग पंचवटी तिराहे के पास जनसेवा केन्द्र चलाते हैं। ये लोग जनसेवा केंद्र पर आने वाले लोगों से 3500-4000 रुपये लेकर उनके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उस दस्तावेज़ के आधार पर उनका आधार कार्ड संसोधित करवाते हैं। अभियुक्तों के पास से 42 लोगों के फर्जी दस्तावेज़ बरामद हुए हैं, जिसका प्रयोग कर उनकी जन्म तिथि, उनका पता या उनका नाम परिवर्तित कराते हुए इन लोगों द्वारा उनके आधार कार्ड में संसोधन कराया गया है।

अभियुक्तों से बरामद लैपटाप में दिल्ली नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र तथा एलपीजी गैस एजेंसी एवं सेना के सेवानिवृत सैनिकों को जारी होने वाले पेंशन प्रपत्र का टेम्पलेट मौजूद है। इस टेम्पलेट के माध्यम से ये लोग हूबहू फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करते थे। इस प्रमाण पत्र का प्रयोग कर ये लोग पोस्ट ऑफिस की कर्मचारी कोमल की सहायता से फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे। पूछने पर बताया कि ये लोग कोमल को प्रति आधार कार्ड 250 रुपये देते थे। अभियुक्तों से बरामद साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि हुई।

अभियुक्तों के पास से बरामद फर्जी दस्तावेजों में दिल्ली नगर निगम का मुन्नी देवी का सन 1938 की फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ है। ये लोग क्यूआर कोड भी जनरेट कर देते थे।

अभियुक्तों से बरामद साक्ष्य का परिशीलन कर उनके द्वारा बनाए गए फर्जी आधार कार्डों का पता लगाया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस कर्मचारी कोमल की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दीपक कुमार पुत्र तारा चन्द्र निवासी हसनपुर लौढा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 28 वर्ष शिक्षा स्नातक
2. विकास कुमार पुत्र तारा चन्द्र निवासी हसनपुर लौढा थाना धौलाना जनपद हापुड़ शिक्षा स्नातक।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.05.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित कर हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.05.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त दीपक उर्फ दीप कुमार पुत्र राजबीर सिंह निवासी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त दीपक उर्फ दीप कुमार ने बताया कि मेरी शादी करीब 05 वर्ष पूर्व हुई थी। मैं शादी के दिन से ही ससुराल वालों से शादी में दहेज कम देने को लेकर नाखुश था तथा मैनें ससुराल वालो से 01 बुलेट मोटरसाइकिल व 05 लाख रूपये दहेज में मांगे थे जो उन लोगों के द्वारा नहीं दिये गये थे। इसी बात को लेकर दिनांक 15.05.2026 को मैंने अपनी पत्नी को मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया था जिससे गुस्से में आकर उसके द्वारा फाँसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक उर्फ दीप कुमार पुत्र राजबीर सिंह निवासी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24/04/2026 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि मेरे पति विनीत व उसके परिजनों द्वारा मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज, मानसिक रूप से प्रताडित करना व जान से मारने की धमकी देना व घर में आग लगाना जिससे घर पर रखा मेरा सामान जल जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 115(2)/352/85/326(छ)/351(3) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 17/05/2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विनीत पुत्र अशोक निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र लगभग 36 वर्ष को चौकी क्षेत्र फरीदनगर से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त विनीत ने बताया कि मैं ग्राम अमराला का रहने वाला हूँ, पीडिता मेरी पत्नी है जिसके साथ मेरे द्वारा मारपीट गाली गलौज व प्रताडित करने से मेरी पत्नी अपने मायके चली गयी थी। मेरे द्वारा वापस बुलाने पर आ नही रही थी तो मैंने गुस्से में आकर घर में आग लगा दी थी जिससे घर का सामान जल गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनीत पुत्र अशोक निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र लगभग 36 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।